रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 15—अगस्त 21, 2009 (श्रावण 24, 1931)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15—AUGUST 21, 2009 (SRAVANA 24, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 929

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 739

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 73

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1357

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 2849

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस ..... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 5007

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 263

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 929

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 739

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 73

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1357

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 2849

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 5007

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 263

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. एफ. 9-46/2008-यू. 3 (ए)--जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत् किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को ''सम-विश्वविद्यालय'' घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुलाई, 2008 में इसके द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थान 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान' को 'समविश्वविद्यालय' (नई श्रेणी के तहत) का दर्जा प्रदान करने के संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ था;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त प्रस्ताव की जांच की है तथा अपने 6 जनवरी, 2009 के पत्र सं.19-5/2008 (सीपीपी-I) के जरिए केन्द्र सरकार को 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान', नई दिल्ली को पाँच वर्ष की अवधि तक वार्षिक समीक्षा की शर्त के अध्यधीन नई श्रेणी के तहत 'समविश्वविद्यालय' संस्थान के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है;

4. इसलिए अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान', नई दिल्ली को नई श्रेणी के तहत, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तुरंत प्रभाव से पांच वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 'समविश्वविद्यालय' संस्थान के रूप में घोषित करती है:

(i) 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान' एक 'समविश्वविद्यालय' संस्थान के रूप में आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की शुरूआत करने से पहले तथा इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को दाखिला देने से पहले भारतीय चिकित्सा परिषद/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से आवश्यक पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान' भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधान, समय-समय पर यथासंशोधित तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों का अनुमोदन करने के संबंध में जारी किए गए मानदंडों एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनुपालना करेगा;

(ii) नर्सिंग में आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित अकादमिक पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के संबंध में भारतीय नर्सिंग परिषद से अनुमोदन प्राप्त करना होगा;

(iii) 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान' द्वारा आयोजित किए जाने वाले/प्रदान किए जाने वाले अकादमिक पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम सूची के अनुरूप होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रासंगिक चिकित्सा अर्हताओं को उपर्युक्त अधिनियम के तहत मान्यता प्रदान की जा सके;

(iv) 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान' एक 'समविश्वविद्यालय' संस्थान के रूप में ऐसी कोई डिग्री प्रदान/आयोजित नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट न हो। इस प्रयोजनार्थ यह संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि यह केवल वही डिग्रियां प्रदान करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत विनिर्दिष्ट हैं;

(v) 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मॉडल संगम ज्ञापन/विनियमों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/विनियमों को संशोधित एवं आशोधित करेगा;

(vi) द्वितीय चरण का विनिर्माण कार्य के पूरा होने के बाद 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान' की सभी चल और अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों को कानूनी रूप से 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान' सोसायटी में निहित किया जाएगा;

(vii) 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान' अपने अकादमिक मोर्चे पर तथा अन्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप अवसंरचनाओं तथा अन्य सुविधाओं का सृजन करने तथा विकासात्मक कियाकलापों के सुदृढ़ीकरण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ताकि यह वर्तमान अस्थायी दर्जे की स्थिति से एक पूर्णकालिक 'समविश्वविद्यालय' के रूप में विकसित हो सके;

(viii) 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान' की कार्य प्रणाली तथा इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा पांच वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट तथा तदुपरांत आयोग की सिफारिश के आधार पर पांच वर्षों के बाद 'लीवर एवं बिलियरी विज्ञान संस्थान' को प्रदान किए गए 'समविश्वविद्यालय' दर्जे की पुष्टि की जाएगी;

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन क्रम संख्या 7 में वर्णित अन्य शर्तों की पूर्ति/अनुपालना के विषयाधीन भी होगी।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 24 जुलाई 2009

सं0 एफ. 9-57/2007/यू.3(ए)

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 के तहत आयोग की सलाह पर किसी उच्च शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, जैन विश्वविद्यालय, जिसमें श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज, 91/2, डॉ. ए.एन. कृष्णा रोड, वी.वी. पुरम, बंगलौर कॉलेज शामिल है, को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ इस मंत्रालय के दिनांक 19.12.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के जरिए उक्त कॉलेज को उसके संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात् बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर से असम्बद्ध होने की तिथि से 'सम-विश्वविद्यालय संस्थान' घोषित किया गया;

3. और जबकि जैन विश्वविद्यालय, बंगलौर, कर्नाटक से जनवरी, 2009 में इस बावत स्पष्टीकरण देते हुए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि (i) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज), 34 फर्स्ट कॉस के.सी. रोड, बंगलौर (ii) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (सेन्टर ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज), 1/1, एट्रिया टावर, पैलेस रोड, बंगलौर, (iii) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (सेन्टर फॉर पी जी स्टडीज), 18/3, 9 मेन, 3 ब्लॉक जयनगर बंगलौर और (iv) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जक्कासांद्रा पोस्ट, कारकपुरा तालुक, बंगलौर (ग्रामीण) जिला श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज की ही शाखाएं हैं जो एक ऐसा संस्थान है जिनकी विभिन्न स्थानों पर विभागवार शाखाएं मौजूद हैं और आगे यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति ने उक्त संस्थान जिसमें पूर्वोक्त शाखाएं शामिल हैं, को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है;

4. अतः अब, जैन विश्वविद्यालय के पूर्वोक्त अभ्यावेदन और साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा (i) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज), 34 फर्स्ट कॉस के.सी. रोड, बंगलौर (ii) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (सेन्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज), 1/1, एट्रिया

टावर, पैलेस रोड, बंगलौर, (iii) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (सेन्टर फॉर पी जी स्टडीज), 18/3, 9 मेन, 3 ब्लॉक जयनगर बंगलौर और (iv) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जक्कासांद्रा पोस्ट, कारकपुरा तालुक, बंगलौर (ग्रामीण) को उनके अलग-अलग संबंधन विश्वविद्यालयों अर्थात् बंगलौर विशविद्यालय, बंगलौर, कर्नाटक तथा विश्वेश्वरैया प्राविधिक विश्वविद्यालय, बेलगांव, कर्नाटक द्वारा असम्बद्ध किए जाने की तिथि से शामिल करती है, बशर्ते पांच वर्षों के पश्चात् इसकी समीक्षा की जाए।

5. इस मंत्रालय के दिनांक 19 दिसम्बर,2008 की समसंख्यक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें जो जैन विश्वविद्यालय, बंगलौर, कर्नाटक को प्रदत्त 'सम-विश्वविद्यालय' दर्जे को अभिशासित करती हैं, प्रवृत्त रहेंगी और (i) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज), 34 फर्स्ट कॉस के.सी. रोड, बंगलौर (ii) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (सेन्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज), 1/1, एट्रिया टावर, पैलेस रोड, बंगलौर, (iii) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (सेन्टर फॉर पी जी स्टडीज), 18/3, 9 मेन, 3 ब्लॉक जयनगर बंगलौर और (iv) श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जक्कासांद्रा पोस्ट, कारकपुरा तालुक, बंगलौर (ग्रामीण) पर लागू होंगी तथा इनका अनुपालन किया जाएगा;

6. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैन विश्वविद्यालय, बंगलौर, कर्नाटक को अथवा इसकी घटक शिक्षण ईकाईयों को किसी प्रकार का कोई योजनागत अथवा योजनेत्तर सहायता अनुदान देगा।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th July 2009

No. F. 9-46/2008-U.3(A)

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as an Institution 'deemed-to-be-university'.

2. And whereas, an application was received in July, 2008 from the Health & Family Welfare Department of the Government of National Capital Territory (GNCT) of Delhi, New Delhi, seeking for declaration of Institute of Liver and Biliary Sciences, an autonomous institution funded by it, as an Institution 'deemed-to-be-university' (under *De Novo* Category) under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the University Grants Commission has examined the said proposal and vide its communication bearing No.19-5/2008(CPP-I) dated the 6th January, 2009, recommended to the Central Government to declare Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi, as an Institution 'deemed-to-be-university', under de novo category, subject to annual review for a period of five years;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS), New Delhi, shall be an Institution 'Deemed-to-be-University', under the *de novo* category, for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, with immediate effect, subject to the following conditions:

(i) ILBS shall obtain the necessary approval of the Medical Council of India/Ministry of Health and Family Welfare before commencing the academic courses/ programmes proposed to be conducted by it as an Institution 'Deemed-to-be-University' and before making admission of students to these courses. ILBS shall comply with all the relevant provisions of the Indian Medical Council Act, 1956, as amended from time to time, as well as the norms and guidelines prescribed by the MCI in the matter of establishment of Medical Colleges, approval to academic courses/programmes, etc. for this purpose.

(ii) The academic course proposed to be conducted in Nursing shall have the approval of the Indian Nursing Council in terms of the Indian Nursing Council Act, 1947;

(iii) The academic courses to be offered / conducted by ILBS shall conform to the First Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956, so as to ensure that the relevant medical qualifications have recognition under the said Act;

(iv) ILBS, as an Institution 'Deemed-to-be-University' shall not offer / award any degree that is not specified by the UGC. It shall, for this purpose, submit an undertaking to the UGC to the effect that it shall offer only those degrees that are specified under Section 22 of the UGC Act, 1956.

(v) ILBS shall revise & amend its Memorandum of Association (MoA) and Rules as per the 'model' constitution of MoA/Rules prescribed by the UGC in consultation with the UGC and in concurrence with the Government of NCT of Delhi;

(vi) All the moveable and immovable assets/properties of the ILBS shall be legally transferred and vested with the ILBS Society after completion of the construction work at 2nd Phase.

(vii) ILBS shall take appropriate steps to augment its developmental activities on the academic front as well as on other areas such as creation of infrastructure and other facilities in conformity with the requirements prescribed under the UGC guidelines, so that it develops into a full-fledged 'Deemed-to-be-University' within the currency of the present provisional status;

(viii) The functioning of the ILBS as well as its performance shall be reviewed annually by the UGC through an Expert Committee for five years. The declaration of ILBS as an Institution 'Deemed-to-be-University' shall be confirmed after five years on the basis of the reports of the Expert Review Committee of the UGC and the recommendations of the Commission thereon;

5. The declaration as made in Para 4 above is subject to fulfillment / compliance of further conditions mentioned at Sr. No.7 of the endorsement to this Notification.

SUNIL KUMAR
Joint Secretary

The 24th July 2009

No. F. 9-57/2007-U.3(A)

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university;

2. And whereas, on the advice of the UGC, Jain University comprising of Sri Bhagwan Mahavir Jain College, 91/2 Dr. A.N. Krishna Road V V Puram Bangalore College, was declared as an 'Institution Deemed-to-be-University' for the purposes of the aforesaid Act; vide this Ministry's notification of even no. dated 19.12.2008, with effect from the date of disaffiliation of the said College from its affiliating university, viz., Bangalore University, Bangalore;

3. And whereas, a representation was received in January , 2009 from Jain University , Bangalore , Karnataka clarifying that (i) Sri Bhagwan Mahavir Jain College (School of Graduate Studies), 34 First Cross KC Road, Bangalore (ii) Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for Management Studies), 1/1, Atria Tower, Place Road, Bangalore (iii) Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for PG Studies),18/3,9th Main , 3rd Block Jayanagar Bangalore and (iv) Sri Bhagwan Mahavir Jain College of Engineering, Jakkasandra Post, Karakpura Taluk, Bangalore (Rural) District are branches of Sri Bhagwan Mahavir Jain College which is one institution having branches department wise in different locations and further stating that the Expert Committee of the UGC has recommended for grant of status of deemed university to the institution comprising aforesaid branches;

4. Now, therefore, after carefully considering the aforesaid representation of Jain University as well as the recommendation made by UGC and its Expert Committee, the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, on the advice of the University Grants Commission (UGC), do hereby include (i) Sri Bhagwan Mahavir Jain College (School of Graduate Studies) 34 First Cross KC Road, Bangalore (ii) Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for Management Studies) 1/1, Atria Tower, Place Road, Bangalore (iii) Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for PG Studies)18/3,9th Main , 3rd Block Jayanagar Bangalore(iv) Sri Bhagwan Mahavir Jain College of Engineering, Jakkasandra Post, Kanakpura Taluk, Bangalore (Rural with effect from the date on which they are disaffiliated from their respective affiliating universities, viz Bangalore University , Bangalore , Karnataka and Visvesvaraya Technical University, Belgaum, Karnataka and subject to review after five years;

5. All the conditions that were stipulated in the Ministry's notification of even no. dated the 19th December, 2008, that govern the status of 'deemed to be university' conferred on Jain University , Bangalore , Karnataka shall continue to be in force and will be applicable to (i) Sri Bhagwan Mahavir Jain College (School of Graduate Studies) , 34 First Cross KC Road, Bangalore (ii) Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for Management Studies) 1/1, Atria Tower, Place Road, Bangalore (iii) Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for PG Studies),18/3,9th Main , 3rd Block Jayanagar Bangalore(iv) Sri Bhagwan Mahavir Jain College of Engineering, Jakkasandra Post, Karakpura Taluk, Bangalore (Rural), and be complied with;

6. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Jain University, Bangalore, Karnataka or its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR
Joint Secretary

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION DELHI, 2009